क्योंकि ऐसी कारो की संख्या सीमित है और किसी भी समय उन के सेवा योग्य होने पर निर्भर है ।

(ङ) स्टाफ का की उपलब्धता उनके उपयोग से सम्बंधि नियमों के अनुसार की जाती है जिनमें अन्य बातो के साथ साथ यह भी व्यवस्था है कि उनका उपयोग कई हालतो में वास्तविक ड्यूटी होने पर आवास तथा कार्यालय के बीच किया जा सकता है और ड्यूटी न होने पर भुगतान करने पर ।

(च) कारों का उपयोग करने वाले अधिकारियों द्वार अथवा वरिष्ठ अधिकारियो की ओर से अथवा निजी सहायको द्वारा अथवा निजी सचिवों द्वारा सफर के ब्यौरों को दर्ज करना अपेक्षित होता है ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V.K.R.V. RAO) : (a) Five.

(b) 111,339 kilometers (including 23,306 kilometers during holidays).

(c) It is not possible to determine the mileage for officers and non-gazetted staff separately, as all the entries in the log books are signed by gazetted officers, and much labour would be involved in collecting such data which would not be commensurate with the result likely to be achieved.

(d) The availability of staff cars for officers and staff is like is dependant upon the demands of a large Ministry on a restricted number of such cars and their serviceability at any given time.

(e) The staff cars are made available in accordance with rules governing their use which, *inter alia*, stipulate that they may be used between residences and offices on *bona fide* duty on certain conditions, and for non-duty purposes on payment.

(f) The details of journeys are required to be entered by the officers using the cars or by private secretaries or personal assistants on behalf of very senior officers.

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

709. **श्री नवल किशोर** : क्या **शिक्षा तथा युवा सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 सितम्बर, 1965 को हुई अपनी 17 वी बैठक में केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा समिति ने विदेशों में हिन्दी का प्रचार करने हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति द्वारा 27 अप्रैल की अपनी बैठक में तैयार की गयी योजना सरकार ने मंजूर कर ली थी;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बाते क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना को सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद के माध्यम से कार्यान्वित करने का विचार रखती है और यदि हा, तो कब से ?

†[PROPAGATION OF HINDI IN FOREIGN COUNTRIES

709. SHRI NAWAL KISHORE : Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at its seventeenth sitting held on the 4th September, 1965, the Kendriya Hindi Siksha Samiti (Central Hindi Teaching Committee) had appointed a sub-committee to prepare a comprehensive scheme for the propagation of Hindi in foreign countries;

(b) whether it is a fact that at its sitting held on the 27th April, 1966, a scheme prepared by this committee was accepted by Government;

(c) if so, what are the main features of the scheme; and

(d) whether Government propose to give effect to his scheme through the Indian Council of Cultural Relations;

†[ ] English translation.

and if so, the time by when it will be done?]

शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :(क) से (ग) विदेशों में मुख्य रूप से कैरिब्बियन देशों, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिमी के एशियाई देशों तथा उन्नत देशों में जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी में हिन्दी के प्रचार करने के लिये एक योजना फरवरी, 1970 में मंजूर की गई थी। चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम नीचे दिये जाते है :—

(i) मोरिशस सरकार के लिये एक हिन्दी प्रेस का मुफ्त उपहार ।

(ii) प्रकाशन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण के लिये मोरिशस सरकार को एक प्रवर अधिछात्रवृत्ति तथा एक अवर अधिछात्रवृत्ति का अनुदान ।

(iii) मोरिशसमें स्थापित हिन्दी पुस्तकालय के लिये मुफ्त पुस्तकें प्रदान करना ।

(iv) विभिन्न पुस्तकालयों तथा भारत की सार्वजनिक संस्थाओं में वितरण के लिये मोरिशस में प्रकाशित की गई पुस्तकों का भारी संख्या में खरीदा जाना ।

(v) लेखक-शिबिर में भाग लेने के लिये मोरिशस के दो । तीन हिन्दी लेखकों के लिये यात्रा व्यय तथा आतिथ्य सरकार के लिये अनुदान ।

(vi) सूरिनाम, त्रिनिडाड और गियाना में हिन्दी तथा संस्कृत के पुस्तकालयों की स्थापना ।

(vii) उच्च हिन्दी तथा हिन्दी प्रशिक्षण के अध्ययन के लिये तीनों देशों में से प्रत्येक के दो व्यक्तियों को दो वर्षीय अवधि की फेलोशिप प्रदान करना ।

(viii) सूरिनाम, त्रिनिडाड तथा गियाना में प्रत्येक को एक एक हिन्दी लेक्चरार जारी रखना ।

(ix) ब्रिटेन तथा अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की सहकारी प्रायोजना ।

(x) नेपाल में हिन्दी तथा संस्कृत की पुस्तकों के पुस्तकालय का विकास ।

(xi) द्विभाषीय शब्दकोषों के उत्पादन के लिये भारत व नेपाल की संयुक्त प्रायोजना ।

(घ) इस समय, विदेश कार्य मंत्रालय के सहयोग से इस मंत्रालय द्वारा सीधे इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (c) A scheme to popagate Hindi abroad, mainly in the Caribbean countries, South-East and West Asian countries and in the advanced countries like U.K., U.S.A., U.S.S.R., France, West Germany, was sanctioned in February, 1970. The main programmes proposed to be implemented under the scheme during the Fourth Five Year Plan period are as below:—

(i) Free gift of a Hindi Press to the Government of Mauritius.

(ii) Grant of one senior Fellowship and one junior Fellowship to the Government of Mauritius for training in different aspects of publishing.

(iii) Free supply of books for the Hindi Library established in Mauritius.

(iv) Bulk purchase of books to be published in Mauritius for distribution to various libraries and public institutions in India.

(v) Grant of travel cost and hospitality to two/three Hindi writers from Mauritius to participate in writers camp.

(vi) Establishment of Hindi and Sanskrit libraries in Surinam, Trinidad and Guyana.

†[ ] English translation.

(vii) Grant of Fellowships of two years duration at the rate of two from each of the three countries for study of advanced Hindi and Hindi teaching.

(viii) Continuance of Hindi Lecturers one each in Surinam, Trinidad and Guyana.

(ix) Cooperative project of the Central Institute of Indian Languages with Universitites in U.K. and U.S.A.

(x) Development of Library with Hindi and Sanskrit books in Nepal.

(xi) Joint Indo-Nepalese project for production of bilingual dictionaries.

(d) For the present, these programmes are being implemented by this Ministry directly with the cooperation of the Ministry of External Affairs.]

†भारत की अल्पकालिक यात्राओं के लिए बीजाओं की आवश्यकता

169. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इस देश की अल्पकालिक यात्राओं के लिए बीजा लेने की शर्त खत्म कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो ये आदेश कब से लागू किये जायेंगे ?

‡[REQUIREMENT OF VISAS FOR SHORT VISITS TO INDIA

169. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have waived the requirement of visas for short visits to the country; and

(b) if so, the date from which these orders will be enforced?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) 90 दिन तक ठहरने के लिये आने वाले निम्नलिखित देशों के राष्ट्रिकों के लिए बीजा की शर्त उन देशों के सामने दी गई तारीख से खत्म कर दी गई है :—

देश	तारीख
नार्वे . . .	1-7-1969
फिनलैण्ड . .	1-7-1969
स्वीडन . .	1-7-1969
डेनमार्क . .	1-7-1969
जर्मनी का संघीय गणराज्य .	1-11-1969
युगोस्लाविया . .	16-5-1970

भूमार्ग से प्रवेश करने वालों विदेशीपर्यटकों, तथा चीनी गणतंत्र, ताईवान (फार्मोसा), पुर्तगाल, पाकिस्तान तथा रोडेशिया के राष्ट्रिकों तथा यूरोपीय वंश-परम्परा के दक्षिण अफ्रीकियों को छोड़कर अन्य विदेशी पर्यटकों को भी जो बिना बीजा के आते हैं, 21 दिन तक ठहरने की सुविधा दी जा सकती है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b) The requirement of visas has been waived in respect of nationals of the countries mentioned below coming for stay up to 90 days with effect from the date indicated against each :—

Country	Date
Norway . . .	1-7-1969
Finland . . .	1-7-1969
Sweden . . .	1-7-1969
Denmark . . .	1-7-1969
Federal Republic of Germany . . .	1-11-1969
Yugoslavia . . .	16-5-1970

Foreign tourists other than those entering by land and nationals of the People's Rebublic of China, Taiwan (Formosa) Portugal, Pakistan and Rhodesia and South Africans of European extraction who come without visas, can also be granted facilities for stay up to 21 days.]

†Transferred from the 30th April, 1970.

‡[ ] English translation.

†[ ] English translation.